मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3443
12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

मध्य प्रदेश में अमृत योजना की स्थिति

3443.श्री बंटी विवेक साहूः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2025 से अब तक मध्य प्रदेश में उन शहरों/शहरी स्थानीय निकायों का ब्यौरा क्या है जहां अमृत 2.0 के अंतर्गत, विशेष रूप से छिंदवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जलापूर्ति और अवजल परियोजनाएं शुरू की गई हैं;
(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शनों का विस्तार करने, गैर-राजस्व जल में कटौती और सेवा की गुणवत्ता में प्रगति को मापने के लिए कौन-कौन से प्रमुख मानदंड अपनाए जा रहे हैं;
(ग) सरकार द्वारा जल के पुनः उपयोग करने और सतत शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या मध्य प्रदेश या छिंदवाड़ा में किसी परियोजना को तकनीकी अथवा वित्तीय कारणों से विलंब का सामना करना पड़ा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दीर्घकालिक प्रचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): जल एवं स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसी विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अमृत/अमृत 2.0 के

तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, उनका मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और उन्हें कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है।

अमृत 2.0 के तहत, मध्य प्रदेश की राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को अनुमोदित किया गया है, जिनमें 12,951.10 करोड़ रुपये की 1153 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 6877.53 करोड़ रुपये की 297 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 5432.04 करोड़ रुपये की 36 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य द्वारा अमृत 2.0 पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 से अब तक 79 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 79 जल आपूर्ति परियोजनाओं और 18 शहरों/ शहरी स्थानीय निकायों में 18 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के ठेके दिये जा चुके हैं। छिंदवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं की स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

इस प्रगति का आकलन घरों में जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। अमृत/अमृत 2.0 योजना के तहत और राज्यों के साथ कनवर्जेंस करते हुए, शहरी क्षेत्रों में अब तक 246 लाख जल नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अमृत/अमृत 2.0 योजना के तहत और अमृत शहरों के साथ कनवर्जेंस करते हुए 182 लाख सीवर कनेक्शन (मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) के तहत कवर किए गए घरों सहित) उपलब्ध कराए गए हैं। 93,457.51 किलोमीटर का जल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया/बदला गया है और 26,995.61 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क बिछाया/बदला गया है। राज्यों द्वारा उद्योगों, बागवानी, कृषि आदि में प्रतिदिन लगभग 6,535 मिलियन लीटर (एमएलडी) शोधित जल का पुन: उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब तक 16.54 लाख जल नल कनेक्शन और 5.73 लाख सीवर कनेक्शन (एफएसएसएम के अंतर्गत आने वाले घरों सहित) प्रदान किए गए हैं।

अमृत 2.0 के तहत, शहरों ने शहरी जल संतुलन योजनाएँ (सीडब्ल्यूबीपी) तैयार की हैं, जिनमें जल आपूर्ति प्रणालियों का यथास्थिति मूल्यांकन शामिल है, जो सतत शहरी जल प्रबंधन में शहरों/शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करता है। जलाशयों का पुनरुद्धार अमृत 2.0 के प्रमुख घटकों में से एक है। अब तक, इस मिशन के तहत 6,083.32 करोड़ रु. की 2,991 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश में 511.75 करोड़ रु. की 430 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भूजल

पुनर्भरण को बढ़ावा देने, विभिन्न प्रकार की पुनर्भरण संरचनाओं को प्रदर्शित करने और शहर के अधिकारियों और नागरिकों को जलभृत प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए, अमृत 2.0 के तहत शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट (एसएएम) पहल को भारत के 9 अलग-अलग शहरों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। एसएएम 2.0 के तहत इसे 75 अतिरिक्त शहरों तक विस्तारित किया गया है।

गैर-राजस्व जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, राज्यों ने अमृत 2.0 के अंतर्गत जल से नल (डीएफटी) परियोजनाएं और स्मार्ट निगरानी प्रणालियां जैसे पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए), मीटर, प्रेशर वाल्व आदि को अपनाया है, ताकि रखरखाव प्रणालियों, डिजिटल निगरानी, ऊर्जा दक्षता आदि को सुदृढ़ किया जा सके। राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर के भीतर एक जिला मीटर क्षेत्र (डीएमए) या वार्ड में कम से कम एक डीएफटी परियोजना कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमृत 2.0 के तहत 1,153 जिला मीटर क्षेत्रों (डीएमए) में फैली 408 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनसे 16.72 लाख घरों को लाभ मिलेगा। अमृत के अंतर्गत 258 जल आपूर्ति योजनाओं में एससीएडीए प्रणाली है और अमृत 2.0 के अंतर्गत 1,422 जल आपूर्ति परियोजनाओं में एससीएडीए प्रणाली का प्रावधान है। मिशन ने अंतिम घर तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रति कनेक्शन 3000 रु. का प्रावधान किया है।

प्रत्येक शहर के लिए शहर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल की सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अमृत 2.0 की परिकल्पना की गई है, जिसमें शोधित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग, जलाशयों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 500 अमृत शहरों के लिए अमृत 2.0 के सीवरेज घटक के तहत, एंड-टू-एंड रीयूज़ योजना के साथ तृतीयक शोधन (अधिमानतः सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में); एंड-टू-एंड शोधन और रीयूज़ सहित सीवरेज प्रणालियों का प्रावधान/संवर्धन और पुनर्वास; पुनर्चक्रण के लिए प्रयुक्त जल का दोहन; पुनर्चक्रित प्रयुक्त जल के थोक उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और संभावित उपयोगकर्ताओं (जैसे कपड़ा/चमड़ा/कागज/विद्युत संयंत्र/रेलवे आदि जैसे औद्योगिक समूह) को सुविधाजनक तरीके से प्रयुक्त जल का विक्रय करना स्वीकार्य घटक हैं।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी मंत्रालय (एमओएचयूए) ने अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को

पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल के लिए सतत आधार पर सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और शोधित निर्वहन जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहन देना है। सर्कुलैरिटी को संस्थागत रूप देने के लिए, इस पहल के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल संसाधन पुनर्प्राप्ति प्रकोष्ठ (डब्ल्यूआरआरसी) स्थापित किए गए हैं, ताकि संसाधन पुनर्प्राप्ति उपायों की आयोजना की जा सके, निगरानी की जा सके और उन्हें व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके।

(घ) और (ङ): मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तकनीकी समस्याओं, भूमि की उपलब्धता, ठेकेदार के कार्य-निष्पादन या स्थानीय प्रशासनिक बाधाओं के कारण कुछ परियोजनाओं में देरी हो सकती है। राज्य ने सूचित किया है कि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) और समीक्षा बैठकों, अनुबंध प्रबंधन में सुधार, समय पर निधियाँ जारी करके और परियोजना डिजाइन में संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) घटकों को शामिल करके नियमित निगरानी की जाती है।

मिशन के दिशा-निर्देशों में कम से कम पांच वर्षों के संचालन एवं रखरखाव लागत वाली परियोजनाओं को शुरू करने की सिफारिश की गई है, जिनका वित्तपोषण उपयोगकर्ता शुल्क लगाकर या अन्य राजस्व स्रोतों के माध्यम से किया जा सकता है। मिशन का फ्रेमवर्क उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और वसूलने, गैर-राजस्व जल में कमी लाने, शोधित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण तथा वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों में बेहतरी जैसे सुधारों पर भी जोर देता है, ताकि संपत्तियों के स्थायी संचालन और रखरखाव की शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह मिशन अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत और अमृत मित्र जैसी विभिन्न सुधार पहलों के माध्यम से राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को जल शोधन संयंत्रों और सीवेज शोधन संयंत्रों के प्रबंधन में सहायता प्रदान कर रहा है।

*****

"मध्य प्रदेश में अमृत योजना की स्थिति" के संबंध में दिनाँक 12.03.2026 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने के लिए, अतारांकित प्रश्न संख्या †3443 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

छिंदवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	क्षेत्र	परियोजना	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)	सौंपे गए ठेके की तारीख
1	सौसर	जलापूर्ति	अमृत 2.0 - सौसर शहरी स्थानीय निकाय में वितरण, एचएससी, एससीएडीए की स्थापना	6.38	30-01-2026
2	डोंगर परासिया	जलापूर्ति	जल आपूर्ति डोंगर परसिया शहरी स्थानीय निकाय	22.84	10-06-2025
3	छिंदवाड़ा	जलापूर्ति	अमृत 2.0-छिंदवाड़ा शहरी स्थानीय निकाय के लिए जल आपूर्ति परियोजना	70.40	09-10-2024
4	अमरवाड़ा	जलापूर्ति	अमृत 2.0 : अमरवाड़ा शहरी स्थानीय निकाय में वितरण नेटवर्क, एचएससी, एससीएडीए प्रदान करना।	4.09	07-10-2023
5	जुन्नारदेव	जलापूर्ति	अमृत 2.0 - जुन्नारदेव शहरी स्थानीय निकाय में एचएससी, एससीएडीए, वितरण प्रदान करना।	8.07	13-03-2024
6	पंढुरना	जलापूर्ति	अमृत 2.0- पांढुर्ना शहरी स्थानीय निकाय के लिए जल आपूर्ति परियोजना	10.76	09-08-2024
7	छिंदवाड़ा	सीवरेज/सेप्टेज प्रंबधन	छिंदवाड़ा शहरी स्थानीय निकाय की अमृत_2.0_एमपी_सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजना	5.50	06-02-2025
8	चोरई	जलापूर्ति	अमृत 2.0 - वितरण पाइप नेटवर्क को बदलना और अपग्रेड करना, एचएससी और एससीएडीए ऑटोमेशन प्रदान करना	5.39	09-10-2024